2024/456

APP-A

Crim-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत........उपखण्ड अधिकारी........मुकाम........कोटा........

........विशाल गर्ग........बनाम........सरकार........

किस्म मुकदमा........136 L.R........नं. ....47........सन्........2024........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
4/12/24	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी विशाल गर्ग की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 06.12.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
6/12/24	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का धाकड़खेड़ी तह0 लाडपुरा जिला कोटा में खाता सं0 नया 19 पुराना 17 खसरा नं0 50 रकबा 1.94 है0 किस्म नहरी प्रथम, खसरा नं0 51 रकबा 2.18 है0 किस्म नहरी एवं खसरा नं0 94/52 रकबा 0.86 है0 किस्म नहरी प्रथम आराजी को मैसर्स मैसर्स रूकमणी देवी गर्ग एग्रो इम्पेक्स प्रा0 लि0 के डायरेक्टर श्रीमती अंजू गर्ग पत्नी श्री विशाल गर्ग से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2024 को क्रेता प्रार्थी विशाल गर्ग आत्मज श्री राम रघुनाथ गर्ग जाति महाजन से क्रय की गई थी, जिसका विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजीयन कोटा के यहां दिनांक 31.03.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1806 में पृष्ठ संख्या 24 क्रम संख्या 202403123105824 पर पंजीकृत किया है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र के आधार पर कार्यालय उपपंजीयन कोटा के द्वारा प्रेषित विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी ने नामान्तरण संख्या 171 दिनांक 31.03.2024 से विक्रय पत्र में वर्णित क्रेता के नाम का गलत रूप से वर्णन करते हुये नामान्तरण तस्दीक किया गया है। विक्रय पत्र में क्रेता विशाल गर्ग आत्मज श्री राम रघुनाथ गर्ग है, किन्तु नामान्तरण में अप्रार्थी ने विक्रय पत्र में वर्णित क्रेता के पिता राम रघुनाथ गर्ग के स्थान पर पत्नी राम रघुनाथ गर्ग त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर लिया गया, अप्रार्थी ने नामान्तरण संख्या 171 के द्वारा विशाल गर्ग पत्नी श्री राम रघुनाथ गर्ग वर्णित किया है, जबकि विशाल गर्ग आत्मज श्री रामरघुनाथ गर्ग दर्ज होना चाहिये था, उक्त त्रुटि टंकनीय है, विक्रय पत्र के विपरीत इन्द्राज हुआ है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे सलंग्न विक्रय पत्र की प्रति के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम विशाल गर्ग आत्मज राम रघुनाथ गर्ग दर्ज होना चाहिए था। उक्त इंद्राज ऑनलाईन म्यूटेश प्रक्रिया द्वारा हुआ है। जो त्रुटिपूर्ण एवं विक्रय पत्र के विपरीत है। उपरोक्तानुसार बाद विवेचन प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जात है कि ग्राम सुखपुरा तह0 लाडपुरा में स्थित आराजी खसरा नं0 50, 51, 94/52 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में विशाल गर्ग पत्नी रामरघुनाथ गर्ग के स्थान पर विशाल गर्ग आत्मज रामरघुनाथ गर्ग दर्ज किया जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 6/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। 6/12 उपखण्ड अधिकारी कोटा	